राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 81 / 2024

मूलाराम –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, पंचायतीराज राजस्थान राज्य शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक कम संयुक्त सचिव (II), पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जैसलमेर।
4. कैलाश चंद पालीवाल, वर्तमान अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायती समिति, जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 01.03.2024
आदेश की दिनांक : 07.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हर्षवर्धन सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन कियाा है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर वर्ष 1997 में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, जैसलमेर में कार्यरत है, प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.07.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति जैसलमेर से पंचायत समिति मोहनगढ़ में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.10.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर जिला परिषद् जैसलमेर में पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.10.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण पंचायत समिति जैसलमेर से पंचायत समिति नाचना में किया गया जहॉ पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिषद् जैसलमेर से पंचायत समिति जैसलमेर में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरण जिला परिषद् जैसलमेर से पंचायत समिति जैसलमेर स्थानान्तरणाधीन मानते हुए पंचायत समिति नाचना

जैसलमेर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के उद्देश्य से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के मात्र 2 दिवस की अल्पावधि में अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर 80 किमी दूर स्थानान्तरित किया गया है जो विधि विरूद्व है।

3. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति जिला जैसलमेर में कार्य करने दिया जाये।
4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर वर्ष 1997 में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायत, समिति, जैसलमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिषद जैसलमेर से पंचायत समिति जैसलमेर स्थानान्तरणाधीन से पंचायत समिति नाचना जैसलमेर में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी संख्या–4 को उसकी स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उदृदेश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न है और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है।

6. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायलय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer order issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

7. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
8. आदेश आज दिनांक 07.03.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य